

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत टैरिफ याचिका वर्ष 2023-24 आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2015 एवं 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने वर्ष 2023-24 के लिये टैरिफ याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे याचिका क्रमांक 95/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम टू-अप; वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुनर्निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रचलित विद्युत दरों एवं प्रभारों के अधीन राजस्व का आंकलन एवं विद्युत की फुटकर दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसका सारांश नीचे तालिकाओं में दर्शाया गया है:-

क. वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम टू-अप का सार

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये करोड़ में)
01.	टैरिफ आदेश दिनांक 02.08.2021 में अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	13,416.13
02.	ऑडिटेड अकाउंट के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता	18,506.76
03.	ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार राजस्व वसूली	16,451.29
04.	राजस्व कमी (2-3)	2,055.47
05.	वित्तीय वर्ष 2019-20 में CSPGCL, CSPTCL एवं CSLDC के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण सकल राजस्व अंतर	264.34
06.	वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में CSPDCL के अंतिम टू-अप के प्रभाव के कारण सकल राजस्व अंतर	2,235.39
07.	CSPDCL के लिए विनियामक संपत्ति	246.44
08.	वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम टू-अप के बाद पुनरीक्षण याचिका से संबंधित कैरिंग कास्ट सहित अतिरिक्त राजस्व अंतर	518.03
09.	वर्ष 2020-21 हेतु Closing deficit (4+5+6-7-8+9+10)	5,319.67
10.	10.90% की दर से कैरिंग कास्ट सहित कुल Closing deficit	439.01
11.	वर्ष 2023-24 के लिये Forward की गई कुल Closing deficit	5,758.68

ख. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार (अकेले वर्ष) एवं वर्ष 2023-24 के लिये सकल कमी

अ.क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
01.	वर्ष 2023-24 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान	15581.14
02.	प्रचलित दरों एवं प्रभारों के आधार पर अनुमानित राजस्व	19,344.17
03.	अकेले वर्ष 2023-24 के लिये राजस्व आधिक्य (2-1)	3,763.03
04.	वर्ष 2021-22 का Forward की गई कैरिंग कास्ट सहित कुल Closing deficit	(6134.77)
05.	वर्ष 2023-24 के लिये सकल कमी (4-3)	(2371.73)

ग. वर्ष 2023-24 के लिये रिटैल टैरिफ प्रस्ताव

- (i) छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि. द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कोई टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
- (ii) एलव्ही-5 (एलटी औद्योगिक) टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत एक नई उप श्रेणी "खदान के साथ स्टोन क्रशर यूनिट" का प्रस्ताव किया गया है। ताकि इस उप श्रेणी हेतु विद्युत शुल्क की गणना पृथक से की जा सके।
- (iii) वर्तमान में प्रचलित एचव्ही-4 स्टील उद्योग श्रेणी के अंतर्गत 33 केव्ही से ऊपर वोल्टेज वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए पॉवर ऑफ ऑवर के प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां (i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के कार्यालय एवं (ii) याचिकाकर्ता के कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊप्र) कार्यालय, डंगनिया, रायपुर सहित (iii) रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं रायगढ़ के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं जिन्हें रु. 100/- अंग्रेजी प्रति एवं रु. 50/- हिन्दी प्रति के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। याचिका/सारांश की प्रति उक्त भुगतान के साथ-साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रु. 50/- के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति (i) आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं (ii) CSPDCL की वेबसाइट www.cspdcl.co.in

याचिकाकर्ता की उपरोक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण निम्नलिखित पते पर इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समय-सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं।

- (i) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन-492001, फ़ैक्स-0771-4073553;
- (ii) कार्यपालक निदेशक (नि.का.एवंऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., चतुर्थ तल, सेवा भवन, रायपुर, पिन-492013, फ़ैक्स-0771-2574442.

सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति ई-मेल द्वारा निम्नलिखित ई-मेल आई डी पर भी भेजा जा सकता है।

- (i) cserc.sec.cg@nic.in
- (ii) cecomcseb@rediffmail.com

विद्युत नियामक आयोग उपरोक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

**कार्यपालक निदेशक (निका एवं ऊप्र)
छस्टेपॉडिस्ट्रीकंलि, रायपुर**

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

ELECTRICITY TARIFF PETITION FOR FY 2023-24
NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS AND SUGGESTIONS

In compliance of the provisions contained in section 62 & 86 of Electricity Act, 2003 read together with CSERC (Multi Year Tariff) Regulations, 2015 and 2021, **Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL)** has filed a tariff petition for FY 2023-24, registered as Petition No. 95 of 2022 before Hon'ble CSERC. The tariff petition comprises of final true-up for FY 2021-22; re-determination of ARR for FY 2023-24 and projection of revenue at existing tariff and charges with revenue gap and determination of retail supply tariff for FY 2023-24, each of which is summarised in the tables given below: -

A. Summary of final true-up of FY 2021-22

S.No.	Particulars	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR approved in Tariff Order dated 02.08.2021	13,416.13
02.	ARR based on audited accounts	18,506.76
03.	Revenue from sale of power as per audited accounts	16,451.29
04.	Standalone deficit (2-3)	2,055.47
05.	Net revenue deficit due to impact of final true-up of FY 2019-20 in respect of CSPGCL, CSPTCL & CSLDC	264.34
06.	Net revenue deficit due to impact of final true-up of FY 2018-19 and FY 2019-20 in respect of CSPDCL	2,235.39
07.	Regulatory asset for CSPDCL	246.44
08.	Additional revenue gap with carrying cost arising out of review petition after Final True Up for FY 2020-21	518.03
09.	Closing deficit for FY 2020-21 (4+5+6-7-8+9+10)	5,319.67
10.	Total closing deficit with carrying cost @ of 10.90%	439.01
11.	Closing deficit carried forward to FY 2023-24.	5,758.68

B. Summary of ARR for FY 2023-24 (Standalone) and net deficit for FY 2023-24

S.No.	Particular	Amount (Rs. Cr.)
01.	ARR projection for FY 2023-24	15581.14
02.	Projected revenue at existing tariff and charges	19,344.17
03.	Standalone revenue surplus for FY 2023-24 (2-1)	3,763.03
04.	Closing deficit of FY 2021-22 carried forward with carrying cost.	(6134.77)
05.	Net deficit for the year 2023-24 (4-3)	(2371.73)

C. Retail tariff proposal for FY 2023-24:

- (i) CSPDCL has proposed to no tariff hike is required for FY 2023-24.
- (ii) A new sub-category under LV-5 (LT Industry) named mines with stone crusher units is proposed. So that calculation of the Electricity Duty for this Sub-Category may be carried-out separately.

(iii) CSPDCL also proposed to abolish the existing provision of power off hours under HV-4 Steel Industry category for the HT consumer of above 33 kV voltage.

Copies of the tariff petition in English and its summary in Hindi will be made available at following offices during office hours from date of publication of this notice:

- i. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Raipur.
- ii. Executive Director (RA&PM), CSPDCL, Danganiya, Raipur.
- iii. CSPDCL's Regional / Circle Offices of O&M at Raipur City, Raipur Rural, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon, Ambikapur & Raigarh.

Interested persons can purchase tariff petition on any working day after making payment of Rs. 100/- for English and its summary in Hindi Rs. 50/-. Copy of the petition/gist may be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition along with subsequent submission by CSPDCL will also be available on the following:

- i. Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission website: www.cserc.gov.in
- ii. CSPDCL website: www.cspdcl.co.in

Persons intending to file objections/suggestions and views relating to this petition may file the same within 21 days from the publication of this Notice either in person or by post to:

- i. Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur (C.G.)
Pin – 492001, Fax – 0771-4073553
- ii. Executive Director (RA&PM), CSPDCL, 4th Floor, Sewa Bhavan, Raipur, Pin – 492013, Fax - 0771-2574442
- iii. Advance copies of objection/suggestion/views can also be mailed to:
 - (i) cserc.sec.cg@nic.in
 - (ii) cecomcseb@rediffmail.com

The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission shall notify the date of public hearing separately.

**Executive Director (RA&PM)
CSPDCL: Raipur**